न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
परिवाद सं० 3797/2022

मोहिनी ---------- बनाम ---------- यादवेन्द्र आदि

धारा घरेलू हिंसा अधिनियम
थानाः नगला सिंघी जिला फिरोजाबाद

दिनांक-05-07-2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिया अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिया काफी समय से गैर हाजिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने परिवाद पर कोई बल देना नहीं चाहती है। गत तिथि को उसे अंतिम अवसर दिया जा चुका है। परन्तु आज न परिवादिया उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया गया है। अतः परिवाद परिवादिया की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

प्रस्तुत परिवाद परिवादिया के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(नगमा खान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।
JO CODE No. UP 02445

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
दण्ड वाद संख्या-3464/2014
राज्य बनाम श्रीमती मंशा देवी आदि
धारा-420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०
थाना-जसराना, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक-30-11-2022

पत्रावली पेश हुई। वादी रंजीत सिंह की आेर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-301 एवं 302 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त केस में अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित व फर्जी बैनामा कराया गया है उसके संबंध में प्रार्थी को पूरी जानकारी है तथा प्रार्थी अपने पिता के साथ उक्त केस में शुरू से ही साथ आता था इसलिये केस के तथ्यों की भी जानकारी है। उक्त केस के वादी प्रार्थी के पिता स्व० महेंद्र सिंह यादव का दिनांक 19.04.2021 को देहान्त हो गया है आैर उक्त केस पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है। पुलिस द्वारा बाद विवेचना आरोपपत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में दाखिल किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त केस में अपने पिता के स्थान पर केस का संचालन करना चाहता है तथा अपनी आेर से सहायक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अपना प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है जोकि इस केस के सही संचालन एवं निर्णय के सही विनिश्चय हेतु प्रार्थी को अावश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी को उसके केस के संचालन के लिये सहायक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में प्रार्थी की आेर से प्राइवेठ अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अभियुक्त उदयवीर सिंह की आेर से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि रंजीत सिंह वर्तमान में मुकदमें पक्षकार नहीं है ना ही न्यायालय द्वारा उसके मुकदमा संचालन करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उसके द्वारा न तो बैनामा लिखाया गया है आैर ना वह बैनामा में गवाह है ना ही उसके पक्ष में कोई बैनामा हुआ है। अतः रंजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि रंजीत सिंह के पिता वादी मुकदमा की मृत्यु दिनांक 19.04.2021 को हो चुकी है। रंजीत सिंह वादी मुकदमा का पुत्र है तथा वह अपने पिता के स्थान पर उक्त मुकदमें की पैरवी करना चाहता है। न्याय की मंशा यह है कि किसी भी पक्षकार के साक्ष्य के अभाव में मुकदमे का निस्तारण नहीं होना चाहिये। समस्त तथ्य पत्रावली पर आने के उपरांत ही पत्रावली का निस्तारण होना चाहिये इसलिये वादी के पुत्र रंजीत सिंह को उक्त मामले के संचालन के लिये सहायक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में प्रार्थी को अपना प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

आदेश

अतः रंजीत सिंह द्वारा दिया गया प्रार्थना अन्तर्गत धारा-301 एवं 302 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है तथा उसे अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सहायक अभियोजन अधिकारी के दिशा निर्देश में अपना प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त कर उनके साथ मिलकर पैरवी करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/अग्रिम कार्यवाही **दिनांक 15.12.2022** को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
परिवाद संख्या-२८७/२०१५
श्रीमती सीमा चौहान बनाम **योगेन्द्र प्रताप सिंह पुण्डीर आदि**

दिनांक-०४-०३-२०१६

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि उसकी शादी दिनांक २४-०२-२०१४ को हरिकेश के साथ हुयी थी। शादी में दिये गये दान दहेज से विपक्षीगण हरिकेश, गुरूकेश, श्रीमती चन्द्रकला, पन्नालाल, श्रीमती धनदेवी व सत्यवीर सन्तुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में एक सोने की जंजीर व दो लाख रूपये की माँग को लेकर परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसे घर से निकालने का कथन किया गया है।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा २०० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत व साक्षीगण पी०डब्लू०-१ रक्षपाल, पी०डब्लू०-२ राघव सिंह को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण पर परिवादिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। दहेज के मामलों में प्रमुख भूमिका सास ससुर व पति की होती है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मात्र अभियुक्तगण हरिकेश, श्रीमती चन्द्र कला व पन्नालाल को धारा ४९८ए भा०दं०सं० व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण हरिकेश, श्रीमती चन्द्र कला व पन्नालाल को धारा ४९८ए भा०दं०सं० व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध

समन जारी हो। परिवादिनी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक १९-०४-२०१६ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
परिवाद संख्या-८४१/२०१४
श्रीमती किरन देवी बनाम बृजकिशोर उर्फ बखेड़ी **आदि**

दिनांक-०३-०३-२०१६

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि दिनांक १५-०७-२०१३ को समय करीब १२ बजे रात विपक्षी बृजकिशोर उर्फ बखेड़ी अपने तीन अन्य साथियों के साथ परिवादिया के घर में दीवाल फांद कर घुस आया तथा उसकी धोती खींच कर गालियां देते हुए उसकी इज्जत लूटने के आशय से उसके ब्लाउज को फाड़ दिया। परिवादिया के विरोध करने पर उक्त विपक्षीगण ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके घर में रखे बक्शे का ताला तोड़ कर उसमें रखे कान का बाला, मंगलसूत्र व दो हजार रूपये निकाल लिये। शोर पर कई लोगों को आता देखकर उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

परिवादिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा २०० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत व साक्षीगण पी०डब्लू०-१ भुजनेश को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी को उसके घर में घुसकर मारपीट करने एवं गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त बृजकिशोर को धारा ३२३, ४५२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त बृजकिशोर को धारा ३२३, ४५२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादिनी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक १४-०४-२०१६ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

परिवाद संख्या- /

छोटेलाल बनाम गजराज आदि

<u>दिनांक-०३-०३-२०१६</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि दिनांक २९-११-२०१५ को समय करीब १०.०० बजे सुबह विपक्षीगण गजराज, उमेश, अनिल, श्रीमती सीमा, सालिनी, राजेश, महेन्द्र सिंह ने एक राय मशविरा होकर प्रार्थी की आराजी में खड़े पेड़ों को चोरी की नियत से काट ले गये। जिसकी शिकायत परिवादी ने विपक्षी गजराज से की तो दिनांक २९-११-२०१५ को ही समय करीब ५.०० बजे उक्त विपक्षीगण ने एक राय मशविरा होकर परिवादी के घर के अन्दर घुस आये तथा गालियां देते हुए परिवादी को मारना पीटना शुरू कर दिया। परिवादी का भाई विद्याराम व श्रीमती नेमा देवी तथा गांव के श्री कृष्ण आदि ने परिवादी को बचाया। जाते समय अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति एवं रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है।

परिवादिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा २०० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत व साक्षीगण पी०डब्लू०-१ विद्याराम, पी०डब्लू०-२ नेमादेवी को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर परिवादी को घर में घुसकर गालियां देते हुए मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण गजराज, उमेश, अनिल, श्रीमती सीमा, सालिनी, राजेश, महेन्द्र सिंह को धारा ३२३, ४५२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण गजराज, उमेश, अनिल, श्रीमती सीमा, सालिनी, राजेश, महेन्द्र सिंह को धारा ३२३, ४५२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक १३-०४-२०१६ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

परिवाद संख्या- १३०७/२०१५

अनिल कुमार बनाम अवनेश कुमार

दिनांक-०३-०३-२०१६

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि दिनांक १२-०५-२०१५ को समय करीब ७.०० बजे शाम विपक्षी अवनेश कुमार ने परिवादी की पत्नी को नौकरी का झांसा देकर मय स्त्रीधन के बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना की सूचना उसके ससुर द्वारा उसे दी तो उसने अपनी पत्नी की तलाश की परन्तु वह नहीं मिली। परिवादी को रीना द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि यदि कोई कार्यवाही की तो तुझे व तेरे बच्चे को जान से मारवा दूंगी।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री उ०प्र० शासन लखनऊ, आई०जी० आगरा, डी०आई०जी० आगरा, पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद व जिलाधिकारी फिरोजाबाद को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति एवं रजिस्ट्री रसीदें दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा २०० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत व साक्षीगण पी०डब्लू०-१ राकेश, पी०डब्लू०-२ असलम खाँ को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर परिवादी की पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त अवनेश कुमार को धारा ४९८ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त अवनेश कुमार को धारा ४९८ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक ११-०४-२०१६ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

परिवाद संख्या- १२२२/२०१४

अनिल कुमार बनाम श्रीमती रूबी

दिनांक-०३-०३-२०१६

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि दिनांक ०४-०३-२०१४ को परिवादी अपनी माँ के

साथ अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था तो उसकी पत्नी रूबी ने फोन करके विपक्षीगण अनार सिंह, के०के०, अर्जुन सिंह, मुन्नीदेवी, धर्मवीर, ममता अजीत कुमार, विनोद को बुलाया तथा उसकी माँ की अलमारी का ताला तोड़ कर उसमें रखा हुआ सामान तथा परिवादपत्र में वर्णित जेवरात सहित उसकी पत्नी को लिवा कर चले गये। दिनांक २०-०३-२०१४ को समय करीब १२.३० बजे उक्त विपक्षीगण परिवादी के घर पर आये तथा धमकी देते हुए कहा कि अगर रूवी व जेवर तथा रूपया वापसी की बात की तो तुझे जान से मार देंगे।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा २०० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत व साक्षीगण पी०डब्लू०-१ जयपाल सिंह, पी०डब्लू०-२ बलवीर सिंह को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर परिवादी जेवर व रूपया हड़प लेने का आरोप है जो विपक्षी रूबी के पास है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मात्र अभियुक्ता श्रीमती रूबी को धारा ४०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता श्रीमती रूबी को धारा ४०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक ११-०४-२०१६ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।